न्यायालय कनीय न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

अधिकार ईजराय वाद सं0– 04/2017

वैजनाथ राय वगैरह.......................................डिक्रीदार
बनाम्
जगदेव राय वगैरह ....मदीउन

आदेश

29.06.2026 डिक्रीदार की ओर से हाजरी दी गई। डिक्रीदार की ओर से प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल किया गया एवं संचालित किया गया। जिसमें डिक्रीदार द्वारा कथन किया गया कि डिक्रीदार सं0–1 वैजनाथ राय का निधन दि0–25.05.2026 को हो गया है। और वह अपने पीछे अपनी विधवा चन्द्रकला देवी उर्फ चन्द्रिका देवी (डिक्रीदार सं0–2) और अपने 5 बच्चे को छोडकर स्वर्गवासी हो गये हैं जो इस प्रकार हैं–राजेन्द्र राय, हरिन्दर राय, दशरथ राय, रामकुमार राय और राजेश राय जिसे प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्रतिस्थापन की अनुमति देने की कृपा करें।

उक्त आवेदन पर डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख एवं आवेदन का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि डिक्रीदार सं0–1 वैजनाथ राय की मृत्यु हो चुकी है। तथा डिक्रीदार द्वारा दि0– 29.06.2026 को प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल किया गया है। डिक्रीदार का आवेदन शपथ पत्र से संपुष्ट है। आवेदन समय सीमा के अन्दर दाखिल किया गया है। वाद के उचित निष्पादन एवं न्यायनिर्णनयन हेतु आवेदन को स्वीकृत करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में डिक्रीदार का प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक– 29.06.2026 स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय वाद पत्र में आवेदनानुसार डिक्रीदार सं0–1 का नाम कलमजद करते हुए उनके वारिशानों का नाम अंकित करें।

वाद दिनांक– **06.07.2026** वास्ते प्रतिस्थापित करने नाम एवं जारी करने डी0 पी0।

ले0

मुंसिफ